राजस्थान सरकार
शिक्षा–विभाग
<u>निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर</u>

क्रमांकः प.9 (1.17)एनएसएस/निकाशि/2013/407 दिनांकः 26 अगस्त, 2013

प्राचार्य,
समस्त राजकीय /निजी महाविद्यालय,
राजस्थान (एन.एस.एस. से सम्बन्धित)

विषय– राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्यस्तरीय /संभागस्तरीय कार्यक्रमों के आयोजन की सूचना नियत समय से पूर्व प्रतिभागियों को प्रेषित करने बाबत।

निर्देशानुसार लेख है कि राजकीय/निजी महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्यस्तरीय/संभागस्तरीय कार्यक्रमों के आयोजन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं की पालना कठोरता से करना सुनिश्चित करें–

1. राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजन का नोटिस आयोजन की तिथि से 15 दिवस पूर्व जारी करते हुए सभी संबंधित को दूरभाष से भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।
2. संभागस्तरीय कार्यक्रम आयोजन का नोटिस आयोजन की तिथि से 10 दिवस पूर्व जारी करते हुए सभी संबंधित को दूरभाष से भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।
3. राज्यतरीय/संभागस्तरीय कार्यक्रमों के आयोजना की सूचना का पत्र प्रतिभागियों को तुरन्त डिस्पेच करना सुनिश्चित करते हुए संबंधित महाविद्यालयों से प्रतिभागियों की भागीदारी हेतु दूरभाष से सम्पर्क कर सूचना प्राप्त की जावें।

कृपया इन निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करते हुए इसे अति–आवश्यक समझें अन्यथा आयोजक संस्था/महाविद्यालय के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(आर.एस.मक्कड़)
अतिरिक्त निदेशक
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः प.9 (1.17)एनएसएस/निकाशि/2013/407 दिनांकः 26 अगस्त, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. राज्य सम्पर्क अधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप 4 अ)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान।
3. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि, वेवसाईट प्रभारी, निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. रक्षिबत पत्रावली।

समन्वयक